



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक– 25.06.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 282/24 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.06.2024 को वादी जुनैद पुत्र जाहीद निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.साहिल, 2.साहिब व 3.रिहान पुत्रगण नाजिम कुरैशी तथा 4.काजिम पुत्र बाबू कुरैशी समस्त निवासीगण ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डो से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 282/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि बनाम साहिब सहित 04 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिब पुत्र नाजिम निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साहिब पुत्र नाजिम कुरैशी निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 214 प्रशांत कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 25.06.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को अपने साथ रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नाजिम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 571/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.का0 1577 सौरभ खारी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1319 अर्पित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक– 25.06.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 80/24 धारा 376(3) भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2024 को थाना क्षेत्र के ग्राम लोदीपुर मिलक निवासी अभियुक्त आशीष चौहान पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह द्वारा वादिनी के साथ गलत कार्य करने, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने आदि आरोपों के संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 376/313/341/504/506/366/511 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम आशीष उपरोक्त सहित 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 313/341/504/506/366/511 भादवि का लोप कर धारा 376(3) भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी की वृद्धि की गई ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आशीष चौहान पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आशीष चौहान पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 464 मोनू थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 25.06.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 561/2024 धारा 323/324/307/504/506 भादवि में  
वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.06.2024 को वादी श्री कलिम पुत्र सलीम निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 21.06.2024 को अभियुक्तगण 1.शहनाबाज पुत्र इरशाद 2.सरताज पुत्र इरशाद 3.इरशाद पुत्र इशाक 4.मुन्नी पत्नी इरशाद निवासीगण ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई अलीम अहमद के साथ घर के सामने नाली साफ करने को लेकर गाली – गलौच करते हुए लाठी डन्डो व धारधार हथियार से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिससे वादी के भाई के सिर व गर्दन पर चोट आयी एवं जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 561/2024 धारा 323/324/307/504/506 भादवि बनाम शहनाबाज आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 561/2024 धारा 323/324/307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.शहनाबाज पुत्र इरशाद 2.सरताज पुत्र इरशाद 3.इरशाद पुत्र इशाक निवासीगण ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.शहनाबाज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.सरताज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.इरशाद पुत्र इशाक निवासी ग्राम मुढाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 402 धर्मवीर खोखर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 334 प्रवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद

दिनांक- 25.06.2024

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 271/24 धारा 363/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.05.2024 को वादिनी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर देकर अवगत कराया कि वादिनी की बेटी को अभियुक्त अनस पुत्र कलवा निवासी मोहल्ला गुड्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया



और उसके साथ गलत काम किया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 271/24 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम अनस उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 271/24 धारा 363/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अनस पुत्र कलवा निवासी मोहल्ला गुड्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र कलवा निवासी मोहल्ला गुड्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-श्री राजेन्द्र पुंडीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी चालक राजीव खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।